

विचार बिन्दु

आपत्ति मनुष्य बनाती है और संपत्ति राक्षस। -विक्टर ह्यूगो

काँकरोच जनता पार्टी का भविष्य - असमंजस ही असमंजस

आखिरकार, 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर काँकरोच जनता पार्टी (सी जे पी) का बहुचर्चित प्रदर्शन हो ही गया। जब से सी जे पी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून को अमेरिका से दिल्ली आने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की बात कही थी, तभी से, इस संबंध में कई प्रकार की अटकलें और कयास लगाये जा रहे थे। अधिकांश लोगों का मानना था कि दिल्ली पुलिस किसी भी सूत्र में अभिजीत दीपके को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करना होता है। अभिजीत ने यह कहा था कि वह 6 जून को अमेरिका से एयरपोर्ट आते ही सबसे पहले संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर जाकर अनुमति लेगे और उसी के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होगा।

सभी अटकलें और अनुमानों को गलत सिद्ध करते हुए अप्रत्याशित रूप से दिल्ली पुलिस ने अभिजीत के दिल्ली पहुंचने से पहले ही कुछ शर्तों के साथ सी जे पी को प्रदर्शन की अनुमति दे दी। यह उल्लेखनीय है कि कई दिनों से सी जे पी नीट पेपर लीक, सीबीएसई और एन टी ए की लचर और भ्रष्ट कार्यप्रणाली से लगभग एक करोड़ बच्चों का भविष्य बुरी तरह प्रभावित होने के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रहे थे।

इंस्टाग्राम पर सी जे पी के 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स एक सप्ताह में हो गए थे। सोशल मीडिया का यह आंदोलन धरातल पर वास्तव में कितना उतर पाएगा यह जानने की उत्सुकता सबको थी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कितने लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हेतु एकत्र होंगे? प्रारंभ में तो यही लग रहा था कि अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और किसी प्रकार का प्रदर्शन जंतर-मंतर पर यह सरकार नहीं होने देगी। वैसे भी, वर्तमान केंद्र सरकार न किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन के प्रति कोई उदारता या नरमी अब तक नहीं दिखाई थी।

यह प्रदर्शन पूरी तरह गैर राजनीतिक था और केवल युवाओं के द्वारा ही आयोजित था। दिल्ली में सी जे पी के प्रवक्ता सोरव दास 6 जून से पहले मीडिया को निरंतर इस बारे में जानकार दे रहे थे।

6 जून को दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी इंतजाम किया था, क्योंकि संख्या के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। प्रातः काल कुछ सी लोग ही जंतर-मंतर पर इकट्ठे हुए थे, किंतु धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। मीडिया में भी इसकी पूरी तरह कवर किया गया। मीडिया कर्मियों द्वारा लोगों से बातचीत के आधार पर यह तो स्पष्ट हो ही गया कि इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोग स्वच्छंद से आ रहे थे और उनमें अधिकांश युवा थे। इसमें अन्य राजनीतिक दलों की रैलियों और सभाओं की तरह लोगों को बसों में भरकर, पैसे देकर इकट्ठा नहीं किया गया था। आने वालों के लिए भोजन, किराए की व्यवस्था नहीं की गई थी। भाग लेने वाले इतनी गर्मी और उमस में भी अपनी इच्छा से आए और डटे रहे। वे इस आंदोलन में आशा की एक किरण देख रहे थे। इनमें देश के लगभग सभी राज्यों से युवा आए थे। इनमें जहां छात्र थे, वहीं कई छात्रों के अभिभावक भी थे। कुछ शिक्षाविद, कलाकार भी थे जो शिक्षा को खराब होती स्थिति के बारे में चिंतित थे।

भाजपा सरकार ने जिस प्रकार अप्रत्याशित रूप से बिना किसी परेशानी के प्रदर्शन की अनुमति जंतर-मंतर पर दे दी, इससे उसने अपनी समझदारी और विवेक का ही परिचय दिया। इससे अनेक लोगों ने यह अर्थ निकाल लिया कि कहीं यह बात भाजपा की ही चाल तो नहीं है? प्रदर्शन की धार को कुंद करने की दिशा में यह कदम एक प्रकार से मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। यदि दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देती तो इससे टकराव होता और संभवतया बहुत तेजी से फैल सकता था।

आयोजकों के पक्ष में यह बात अवश्य जाती है कि उन्होंने इसकी पूरी तरह अहिंसात्मक बनाकर रखा और प्रदर्शनकारियों ने भी संयम से काम लिया। हिंदू रक्षा दल के कुछ लोगों ने मीडिया पर यह धमकी दे रखी थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वालों को लाटियों से पीटा जाएगा और उन्हें थप्पड़ों से मारा इतना मारेंगे कि वे उभ भर याद रखेंगे। इस प्रकार के लोग 15-20 की संख्या में ही थे, जिन्हें पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया। इसे पुलिस का निष्पक्ष व्यवहार झलकता है।

प्रारंभ में अभिजीत ने घोषणा की थी कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, किंतु लगभग 4:00 बजे के आसपास इसे समाप्त कर दिया गया और सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि शिक्षा मंत्री ने अपना पद एक सप्ताह में नहीं छोड़ा तो अगले शनिवार को देश भर में प्रदर्शन होगा। यह आश्चर्यजनक है कि इतने विरोध के बावजूद, अक्षय सिद्ध शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। शायद सरकार दबाव के आगे नहीं झुकने का संकेत देना चाहती है। भाजपा को जिताने के लिए भले ही धर्मेंद्र प्रधान उपयोगी रहे हों, किंतु शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जितना नुकसान शिक्षा व्यवस्था और विरोध कर पीछाओं के संचालन के संघर्ष में कर दिया है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती।

विपक्ष के लिए एक अवसर था कि वह इस प्रदर्शन को जोर-शोर से समर्थन देते। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस अवसर का लाभ उठाने से चूक गई और इसके नेताओं ने इसे भाजपा का षडयंत्र बता कर इस आंदोलन को हल्का करने का ही काम किया है। यदि विपक्ष वास्तव में सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करने में इतना ही समर्थ और सक्षम होता तथा एकजुट होता तो शायद काँकरोच जनता पार्टी का कोई जन्म ही नहीं होता। विपक्ष दल चूँकि पूरी तरह राजनीति में उलझ कर रह गए और अपनी अपनी रेटियां संकेत में लगे गए, इंटी 'गठबंधन' भी लगभग बिखर सा गया है। इसी रिक्त स्थान को भरने का काम काँकरोच जनता पार्टी ने किया है।

सी जे पी के संदर्भ में एक बात विशेषकर उल्लेखनीय है कि उसके नेताओं ने अब तक मुद्दों को सर्वोपरि रखा, न कि व्यक्ति विशेष को। इस प्रदर्शन में लड़ाख के पर्यावरण विद् और शिक्षाविद सोमन वांगचुक की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने उपस्थित युवा समुदाय को संबोधित भी किया। 6 जून के आंदोलन के पश्चात भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह किस दिशा में जाएगा? क्या यह किसी जन क्रांति का रूप लेगा या केवल कुछ दिनों तक शक्ति प्रदर्शन करने के पश्चात बिखर सा जाएगा।

भाजपा ने अपने आई टी सेल के माध्यम से सोशल मीडिया पर यह प्रसारित करने का प्रयास किया कि यह आंदोलन विदेशियों द्वारा समर्थित द्वारा है। जिस प्रकार से सी जे पी के प्रवक्ता सोरव दास ने मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए, उससे यह तो स्पष्ट है कि बरोजगार युवाओं को काँकरोच पार्टी के रूप में एक अच्छा मंच दिखाई दे रहा है, तो वे इस अवसर को आसानी से जाने नहीं देंगे। अब, यह विपक्ष दलों के रूख पर निर्भर करता है कि क्या वे इस आंदोलन में पूरी शक्ति से जुड़ते हैं या नहीं?

इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा यह तो भविष्य बताएगा। एक प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या सी जे पी एक राजनीतिक दल के रूप में चुनावी राजनीति में उतरेगी या केवल एक सामाजिक आंदोलन के रूप में सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करेगी? चुनाव में भाजपा की रणनीति का मुकाबला करके सफलता हासिल करना बहुत टेढ़ी खीर होगा। यह तब ही संभव है जब भाजपा के समर्थक कई युवा भी भाजपा से मोह भंग होने पर काँकरोच जनता पार्टी का समर्थन करें।

कुछ बड़े सरकारों ने जब प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी से 2014 में साक्षात्कार लिया था तो उन्होंने सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को बताया था। जैसे-जैसे समय निकलता गया, शिक्षा का मुद्दा गौण हो गया। इसी कारण देश में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। यदि यह आंदोलन सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में और और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत विषयों को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने में सफल होता है, तो इसे सार्थक माना जायेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों की आदत होती है कि वह किसी भी जन समुदाय के सैलाब पर सवार होकर अपनी चुनावी रणनीति को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। काँकरोच जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि वह ऐसा नहीं होने दे। यदि ऐसा हुआ, तो यह सामान्य युवा का उनमें अब तक का उत्पन्न विश्वास कोटने जैसा होगा। यदि काँकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कर के चुनाव लड़ने का निर्णय लेती है तो उसे आम आदमी पार्टी के हथकौपी भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके नेताओं ने वह सब करना प्रारंभ कर दिया था जो अन्य सभी राजनीतिक दलों के नेता करते हैं। यही उसके प्रारंभ का कारण बना।

यह सही है कि काँकरोच जनता पार्टी का जन्म भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बरोजगार युवाओं की काँकरोच से तुलना करने की गई एक टिप्पणी से हुआ, जिसे अमेरिका में जन संपर्क की पढ़ाई करने वाले, महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने एक बड़े सोशल मीडिया आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और अप्रत्याशित रूप से उसे लाखों, करोड़ों लोगों में मिल गया। क्या भविष्य में वही इसका चेहरा बन जाएगा या मुद्दों को आगे रखा जाएगा और चेहरे को पीछे रखा जाएगा, यह कहना कठिन है। भारत के नागरिकों की एक विशेषता रही है, कि वे किसी चेहरे के पीछे चलना अधिक पसंद करते हैं। भाजपा की सफलता के पीछे भी मोदी जी का चेहरा ही रहा। उनमें एक ऐसे नेता की छवि प्रारंभ में दिखाई दी जो उन्हें सभी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। अब चूँकि यह छवि धीरे-धीरे धुंधली होती जा रही है, तो यह अवसर काँकरोच जनता पार्टी के सामने है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाए जो जनता के वास्तविक मुद्दों से लगातार जुड़ा रहे और जिसका व्यक्तिगत स्वार्थ न हो और जो केवल चुनावी जीत के लिए ही काम ना करे।

आज आम नागरिक के मन में शंका यही नहीं रहती है कि सरकार के अधिकारी और नेता चाहे कुछ भी कर लें, कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राजन्याय सिंह ने तो एक बार कहा भी था कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होता। इसी संदर्भ में सी जे पी के प्रवक्ता सोरव दास से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदि कोई मंत्री अक्षय सही काम न करे, तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? क्या जनता पर उस व्यक्ति को लगातार थोपा रहना चाहिए जो जन हित में काम करना बंद कर दे? शिक्षा मंत्री का अभी तक इस्तीफा नहीं लेना तो राजन्याय सिंह की बाद को ही सही सिद्ध कर रहा है। किसी भी जन आंदोलन के हिंसक होने की आशंका बनी रहती है और इसी आधार पर इसे बंदनाम करने का और इसे राहु विरोधी घोषित करने का अवसर सत्ताधारी दल को मिल जाता है। काँकरोच जनता पार्टी के नेता इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देंगे, जैसा कि उन्होंने अभी 6 जून के प्रदर्शन में संयत व्यवहार करके सुनिश्चित किया है।

काँकरोच जनता पार्टी उन्हें इसके नेताओं को अपने आचरण से और व्यवहार से, आने वाले समय में इन सब प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से देना होगा कि उनमें व्यक्ति विश्वास बना रहे और वह सामान्य नागरिकों के लिए सरकार को उत्तरदाई बनाने में सक्षम हो सके। भविष्य में वास्तव में क्या होगा, यह तो कोई नहीं कह सकता, किंतु देश हित में यही है कि जो सामाजिक आंदोलन जन विश्वास, विशेषकर युवाओं के विश्वास के आधार पर उत्पन्न हुआ है, वह उनके विश्वास पर खरा उतरे और उनके साथ वैसा धोखा न हो जैसा अन्य कई आंदोलनों में हो चुका है। फिलहाल तो असमंजस ही असमंजस है। देश का युवा बड़ी आशा के साथ काँकरोच जनता पार्टी की ओर देख रहा है। इसके नेतृत्व को अपने कदम बहुत सावधानी पूर्वक उठाने होंगे और विभिन्न प्रतीकों से बचना होगा।

-अतिथि सम्पादक, राजेश भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

नशामुक्त राजस्थान की दिशा में निर्णायक कदम

युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई और जनजागरण का संगम



जवाहर सिंह बेदम

राजस्थान आज नशे और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक व्यापक और निर्णायक अभियान का साक्षी बन रहा है। नशे और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार केवल कानून-व्यवस्था के साथ समाज, परिवार और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नशे के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए दृढ़ता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की है और अब इसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में देश के अनेक राज्यों की तरह राजस्थान भी नशा तस्करी के निशाने पर रहा है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, विशेषकर पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करती रही है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीमापार से ड्रॉन द्वारा भेजी जा रही नशे की खेप ने सुरक्षा

एजेंसियों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं। ऐसे समय में राज्य सरकार ने केवल पारंपरिक पुलिसिंग तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक दृष्टि से भी अपनी तैयारियों को मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि नशा तस्करी, ड्रग्स माफिया और संगठित अपराध से जुड़े तत्वों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सरकार केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी सोच के तहत अगस्त 2025 में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजोटीएफ) का गठन किया गया। गठन के बाद से एजोटीएफ ने जिस सक्रियता और दक्षता के साथ कार्य किया है, उसने नशा तस्करी के नेटवर्क पर गंभीर चोट की है। अब तक 389 प्रकरण दर्ज कर 557 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह अंकड़ा प्रशासक की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इन अभियानों के दौरान जब मादक पदार्थों और अन्य संसाधनों का अनुमानित मूल्य 679 करोड़ रुपये से अधिक है। इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने नशे के अवैध कारोबार पर व्यापक और गहरी चोट की है। नशे के विरुद्ध लड़ाई में सबसे

प्रभावी रणनीति उसके खेत पर प्रहार करना माना जाता है। राज्य सरकार ने इसी दिशा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। एजोटीएफ ने 170 मामलों में अवैध अफोम की खेती का भंडाफोड़ करते हुए लगभग साढ़े सात लाख अफोम के पौधों को नष्ट किया है। साथ ही 519 किलोग्राम अफोम डोडा और 202 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है। एजोटीएफ के गठन से पहले पूरे प्रदेश में ऐसी केवल छह कार्यवाहियों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि गठन के बाद 27 कार्यवाहियों में 68 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है। यह अंतर स्पष्ट करता है कि विशेषीकृत एजेंसियों के गठन से अपराध नियंत्रण की क्षमता में कितना बड़ा सुधार आता है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए सीमापार ड्रग्स तस्करी रोकना अत्यंत आवश्यक है।

हाल के वर्षों में पाकिस्तान की ओर से ड्रॉन के माध्यम से मादक पदार्थों की खेप भेजने के प्रयास लगातार सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत किया है। वर्ष 2026 में अब तक सीमा पार तस्करी से जुड़े 14 मामलों में 31 तस्करी को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 56.319 किलोग्राम हेरोइन, 11 पीस्तूल और दो ड्रॉन बरामद किए गए हैं। यह सफलता दर्शाती है कि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ नई चुनौतियों के अनुरूप अपनी रणनीति को लगातार अद्यतन कर रही हैं। नशे के कारोबार में शामिल

संगठित अपराधियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 60 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि कानून से बच निकलने की संभावनाएँ लगातार कम हो रही हैं। इससे अपराधियों में भय का वातावरण बना है और नशे के अवैध कारोबार को बड़ा झटका लगा है।

हालांकि केवल कानून लागू कर देने से नशे की समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य भर में युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न सामाजिक मंचों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नशे को रोकथाम में जागरूकता सबसे प्रभावी हथियार है। यदि युवाओं को समय रहते इसके दुष्परिणामों की जानकारी मिले और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए तो वे नशे की गिरफ्त में आने से बच सकते हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के आंकड़े भी सरकार को बड़ी हुई सक्रियता को दर्शाते हैं। जनवरी से अप्रैल 2025 के दौरान जहाँ 2,992 प्रकरण दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2026 की समाप्ति तक अब यह संख्या बढ़कर 3,598 हो गई है। यह वृद्धि नशे के प्रसार

का नहीं, बल्कि अपराधियों के विरुद्ध अधिक प्रभावी और व्यापक कार्रवाई का संकेत है। इससे स्पष्ट है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अब पहले से अधिक सक्रियता और सतर्कता के साथ कार्य कर रही हैं। राजस्थान में नशे के विरुद्ध चल रहा यह अभियान सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बनाता जा रहा है। सरकार, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियाँ, शिक्षण संस्थानों और समाज के विभिन्न वर्गों की संयुक्त भागीदारी इस लड़ाई को और अधिक प्रभावी बना रही है।

वास्तव में किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा शक्ति होती है। यदि युवा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो विकास की गति प्रभावित होती है और सामाजिक संरचना कमजोर पड़ती है। इसलिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध चल रही यह निर्णायक जंग केवल अपराध नियंत्रण का अभियान नहीं, बल्कि राजस्थान के भविष्य को सुरक्षित करने का एक व्यापक प्रयास है।

नशामुक्त राजस्थान का लक्ष्य तभी साकार होगा जब प्रशासनिक कठोरता के साथ सामाजिक जागरूकता भी निरंतर बढ़े। वर्तमान में जिस प्रकार सरकार ने विशेष बल का गठन कर संगठित अपराधियों पर प्रहार किया है, सीमापार तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी निगरानी बढ़ाई है और युवाओं को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान प्रारंभ किए हैं, वह निश्चित रूप से एक सकारात्मक और दूरगामी पहल है।

-जवाहर सिंह बेदम, गृहारज्य मंत्री, राजस्थान

लंदन डायरी : भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के प्रतीक हैं लंदन के हिन्दू मंदिर



बाल मुकुन्द ओझा

भारतवासी जहाँ भी जाते हैं वहाँ मंदिर और गुरुद्वारा जरूर बनाते हैं। भारत की आजादी से पहले से ही इंग्लैंड में भारतीय रहते थे। ब्रूमबर्न की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1950 तक लंदन में एक भी मंदिर नहीं था। इसके बाद 1960 के दशक में राधा-कृष्णा मंदिर बना, जो कि जॉर्ज हरिसन के साथ लीज पर था। इस समय ब्रिटेन में मौजूद हिंदू मंदिरों की संख्या 400 के आसपास है। हिन्दू मंदिरों में विश्व में ब्रिटेन का तीसरा स्थान है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में भी हिन्दूओं के दर्जनों आराध्य स्थल देखने को मिल जायेंगे। लंदन में ऐसे हिंदू मंदिर भी हैं जो सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं

का जीवंत उदाहरण भी हैं। इन मंदिरों में न सिर्फ भव्य पूजा-अर्चना होती है, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से भारतीय जड़ों को मजबूत करने का काम भी किया जाता है। इन मंदिरों की वास्तुकला, धार्मिक अनुष्ठान और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जायेंगे। इनमें श्री स्वामीनारायण मंदिर, श्री वेंकटेश्वर (बालाजी) मंदिर, श्री मुरुगन मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री सनातन हिन्दू मंदिर प्रमुख हैं।

मंदिर को सुध, शांति, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे मन में अपार सुकून

आता है। पिछली अपनी लंदन यात्रा के दौरान मैं अनेक हिन्दू मंदिरों में भी गया था। इस बार जयपुर से लंदन आये हमें लगभग दो महीने हो गए। इस अवधि में कई स्थानों पर घूमे-फिरे मगर भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसी बीच हमारे बेटे सिद्धार्थ ने 2010 में स्थापित हिन्दू सनातन मंदिर चलने का प्रस्ताव रखा तो हम लोग तुरंत तैयार हो गए। यह लगभग 35 किमी दूर Crawley में स्थित है। मंदिर में अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ और अनेक सांस्कृतिक, सामुदायिक और शैक्षणिक स्थल हैं। मंदिर स्थल बेहद रमणीक है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हनुमानजी और परिसर में नंदी महाराज

की प्रतिमा है। अंदर भगवान गणेशजी, नव दुर्गा, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, कृष्ण रथामा, महादेव शिवलिंग महावीर स्वामी, विश्वकर्मा, मां गायत्री, सत्यनारायण देव, श्रीनाथजी आदि देवी-देवताओं की आकर्षक, भव्य और भव्य मुद्रा कर देने वाली मूर्तियाँ स्थापित हैं। जिन्हें बेहद खूबसूरत पोशाकों से सजाया गया है। मंदिर के अन्दर प्रवेश करते ही चैन और सुकून की भावना आता को शुद्ध करती है। मंदिर में भगवत कथा चल रही थी। हिन्दू महिलाएँ परम्परागत भारतीय वस्त्रों में पूजा अर्चना और भगवत कथा का श्रवण कर रही थी। -बाल मुकुन्द ओझा, वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

न्याय का एक सशक्त मार्ग : जनहित याचिका



प्रो. कैलाश सोडानी

जनहित याचिका की अवधारणा 1960 में अमेरिका में प्रारम्भ हुई। भारत में इसे 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रारम्भ किया गया। जिसके सूत्रधार न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और वी. आर. कृष्ण अय्यर थे। एडवोकेट पुष्पा कपिला हिंगोराजी को जनहित याचिका की जननी माना जाता है। जनहित याचिकाएँ केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सम्पर्क ही दायर

की जा सकती हैं। जिला अदालत में दायर नहीं कर सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि जनहित याचिका का उद्देश्य केवल सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए न कि कोई निजी हित। यदि कोई मुद्दा जनहित में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो न्यायालय स्वयं भी स्वतः संज्ञान ले सकता है।

भारत में न्याय प्राप्त करने की यात्रा बहुत लम्बी और महंगी हो। इस सम्बन्ध में कटाक्ष यह भी है कि "उच्चतम न्यायालय और ताज होटल तक वही व्यक्ति पहुँच सकता है जिसकी जेब भारी हो।" न्याय केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जनहित याचिका के तहत, कोई भी व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जो अपनी गरीबी एवं अज्ञानता के कारण कानूनी राहत के लिए स्वयं अदालत जाने में असमर्थ है।

गरीब वर्ग, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, सरकारी भ्रष्टाचार, प्रदूषण,

पर्यावरण संरक्षण, जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जनहित याचिका का मार्ग अपनाया जा सकता है। जनहित याचिका केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती है। याचिका दायर करने की प्रक्रिया की सरलता के कारण ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है जिनका कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। जनहित याचिकाओं के कारण अदालतों का कार्यभार बढ़ता जा रहा है। कभी कभी न्यायालय कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप भी कर देते हैं। जनहित याचिका की सुविधा का दुरुपयोग भी हो रहा है। कुछ जनहित याचिकाएँ जनहित के लिए नहीं अपितु व्यक्तिगत हितों की पूर्ति, प्रचार पाने के लिए दायर की जाती हैं। कुछ समय पूर्व किसी एक ही एडवोकेट द्वारा 25 जनहित याचिकाएँ दायर करे पर सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को एक साथ खारिज कर दिया था।

जनहित याचिका ने भारत की राजनीति और विधि जागत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से भारत में कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, लोगों को न्याय मिला है। सबरीमाला और हाजी अली दरगाह में महिलाओं का प्रवेश, तीन तलाक पर प्रतिबन्ध लगा, संघर्ष से समलैंगिक सम्बन्धों को कानूनी मान्यता मिली; ऐसे अनेक महत्वपूर्ण निष्पत्ति जनहित याचिकाओं के माध्यम से हुए हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न) एम. सी. मेहता मामले (गंगा नदी प्रदूषण) और दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों को हटाने के आदेश, हुसैनारा खतून बनाम बिहार राज्य मामले में जेलों में अमानवीय स्थितियों और बिना मुकदम के जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के आदेश। ऐसे अनेक जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनहित याचिकाओं के माध्यम से आम लोगों को न्याय प्राप्त हुआ है।

जनहित याचिकाओं के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की

रक्षा की जाती है। यह सरकारी कामकाज की न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करती है। यह कानून के शासन को मजबूत करती है और जनता में जागरूकता बढ़ाती है। प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। संक्षेप में, जनहित याचिका लोकतंत्र में आम नागरिकों को न्यायपालिका के माध्यम से शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करती है। समय के साथ, जनहित याचिका भारत में न्यायिक सक्रियता का एक शक्तिशाली और लोकप्रिय साधन बन गयी। इसके माध्यम से कई सामाजिक कुरीतियों और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जा सकता है। जनहित याचिका देश के सभी नागरिकों की न्याय तक पहुँच को लोकतांत्रिक ढंग से सुगम बनाती है।

-प्रो. कैलाश सोडानी, पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर पूर्वा विश्वविद्यालय, कोटा

राशिफल मंगलवार 9 जून, 2026



पंडित अनिल शर्मा

द्वितीय ज्येष्ठ मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2083, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 9:40 तक, प्रीति योग प्रातः 8:18 तक, तैतिल करण दिन 2:59 तक, चन्द्रमा आज

मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरु-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 9:40 से सूर्योदय तक है। आज पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:01 से 10:43 तक, लाभ अमृत 10:43 से 2:08 तक, शुभ 3:51 से 5:32 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्त 7:15

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में आवश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। आवश्यक कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष
आज आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी और आर्थिक मामलों में परिचित से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटकें हट्टे कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हट्टे कार्य बनने लेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। बने कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज स्वास्थ्य का ध्यान रहे।

कन्या
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिल सकती है। घर-परिवार में चल रही परेशानियाँ दूर होने लगेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वाता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में लाभकारी ठीक नहीं रहेगी। घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

धनु
घर-परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। परिवार में अतिथियों के आमनन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर